फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

गोपालराम बनाम **मोहन वगैरह**

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 111 / 2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
16.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण हाजा दिनांक 18.09.2024 से लम्बित है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु कई अवसर दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 23.12.2024 को प्रकरण में रजिस्टर्ड एडी सम्मन से प्रतिवादीगण की तलबी की जाने हेतु अवसर हिदायत के साथ दिया गया कि प्रकरण में उक्त आदेश की पालना में नहीं की जाने पर प्रकरण में सीपीसी आदेश 09 नियम 5 के तहत कार्यवाही की जावेगी। परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना में रजिस्टर्ड एडी सम्मन पेश नहीं किये। अतः हस्तगत वाद प्रकरण में वकील वादी को तामील हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर तथा हिदायत के साथ अन्तिम अवसर गत तारीख पेशी पर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर प्रकरण हाजा अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 सीपीसी प्रावधान आदेश 09 नियम 5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	